[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 52/2019- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2019

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 453(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारबार स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन तिमाही जुलाई-सितंबर, 2019 के दौरान की गई माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर-1** में 30 नवंबर, 2019 तक प्रस्तुत करेंगे ।"।

2. यह अधिसूचना 31 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी ।

[फा. सं. 20/06/08/2019-जीएसटी]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 453(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।